मूलवाद 2025/0

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
सुभाष चन्द्र बनाम किशोरी लाल व अन्य
विविध प्रार्थना संख्या 2025/006
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
11.02.2025	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। वकील प्रार्थी के निवेदन एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि प्रशनगत आराजी चक 1 वाई, पटवार हल्का 3 वाई, भू0अ0नि0 क्षेत्र कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28/22, मु0 नं0 13 व 14 की कुल 5.9383 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाए रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 12.03.2025 को आकर पेश करें। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12 मार्च, 2025 को पेश हो। स्वाति गुप्ता R.A.S. सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर	
12-3-25	आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली [illegible] दिनांक 17/4/25 को पेश हो।	
17/4/25	[illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:24 IST
Reason: SelfAttested

28/05/25

मैं पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता इसी स्तर पर निरस्त करवाना चाहता हूँ।

सुभाषचन्द

[illegible]

28/5/25

अधिवक्ता प्रार्थी उप0। प्रार्थी द्वारा स्वयं उप0 आकर पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता, इसी स्तर पर निरस्त करवाना चाहता है की इबारत अंकित किये करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किये प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से की गई। चूंकि प्रार्थी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता, अतः वि० प्रा० पत्र 42 RTA नं. [illegible] 2028/006 किशोरीलाल व अन्य बनाम सुभाषचन्द्र आदि खारिज किया जाता है। वर्तमान स्तर पर [illegible] पत्रावली [illegible] के पत्रावली रजिस्टर से पत्रावली निर्णय की सूची में शामिल कर दी जावे।

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:24 IST
Reason: SelfAttested